रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 8, 2012/आश्विन 16, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 157
No. 168] DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2012/ASVINA 16, 1934 [N.C.T.D. No. 157

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

एवं

मुख्य पंजीकार (जन्म व मृत्यु)

अधिसूचना

दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2012

फा. सं. 13(1)/जी.शा./अ.स.नि./2006/5986.—जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 30 की उप-धारा (1) के साथ धारा 2 की उप-धारा (1) के प्रावधान (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से दिल्ली जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 में संशोधन करते हुए निम्न नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) ये नियम दिल्ली जन्म व मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2012 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू होंगे ।

(3) ये नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

2. नियम 5 का संशोधन.—दिल्ली जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 (इसके पश्चात् 'मुख्य नियमावली' के रूप में संदर्भित) नियम 5 के उप-नियम (1) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"5. जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिए फार्म आदि :—

(1) रजिस्ट्रार को यथास्थिति, धारा 8 या धारा 9 के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित सूचना जन्म, दत्तक बच्चे का जन्म, मृत्यु और मृत जन्म के पंजीकरण के लिए क्रमशः प्रपत्र सं. 1, 1-क, 2 और 3, जिन्हें इससे आगे सामूहिक रूप में प्रतिवेदन प्रपत्र (रिपोर्टिंग फार्म) कहा जाएगा, में दी जाएगी । यदि सूचना मौखिक रूप में दी जाती है, तो रजिस्ट्रार द्वारा उपयुक्त प्रतिवेदन प्रपत्रों में उसकी प्रविष्टि की जाएगी और सूचनादाता के हस्ताक्षर कराए जाएंगे । अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा ।"

3. नए जन्म प्रतिवेदन प्रपत्र (1-क) का शामिल होना.—

मुख्य नियमावली में, निम्न प्रपत्र, प्रपत्र सं. 1-क-दत्तक बच्चे का जन्म सूचना प्रपत्र शामिल किया जाएगा ।

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रपत्र सं. 1–क दत्तक बच्चे का जन्म सूचना प्रपत्र

विधिक सूचना

इस भाग को जन्म रजिस्टर में जोड़ा जाए

सूचक द्वारा भरे जाने के लिए

1* जन्म तिथि (यदि ज्ञात हो, जन्म की वास्तविक तारीख लिखें) (अन्यथा मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित तिथि लिखें)

2* लिंग : ("पुरूष अथवा स्त्री दर्ज करें, संक्षिप्त रूप न लिखें)

3. बच्चे का नाम : (यदि दत्तक ग्रहण पर नाम बदला गया हो, तो नया नाम लिखें)

4* माता का नाम : (यदि ज्ञात हों)

5* पिता का नाम : (यदि ज्ञात हों)

6. दत्तक–ग्रहण विलेख/आदेश की तिथि और संख्या :

7. दत्तक ग्राही माता का नाम :

8. दत्तक ग्राही पिता का नाम :

9. दत्तक–ग्रहण विलेख में दर्ज दत्तक ग्राही माता–पिता का पता :

10. दत्तक ग्राही माता–पिता का स्थाई पता :

11* जन्म स्थान

12. दत्तकग्रहण यदि एजेंसी के माध्यम से हुआ हो तो दत्तकग्रहण एजेंसी का स्थान और पता लिखें

13. सूचक का नाम और पता: (1से 18 तक सभी कालम पूरे करने के बाद, सूचक, तारीख सहित यहां हस्ताक्षर करेंगें)

*जैसा मूल जन्म प्रमाणपत्र में उल्लिखित है ।

तिथि : सूचक के हस्ताक्षर अथवा बाएं अगूठे का निशान

इस भाग को अलग कर दिया जाए और सांख्यिकीय संसाधन के लिए भेजा जाए (पहले से पंजीकृत जन्म के मामले में इसे न भरा जाए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दत्तक बच्चे का जन्म सूचना प्रपत्र

सांख्यिकी सूचना

प्रपत्र सं. 1–क

नियम 5 देखें

इस भाग को अलग कर दिया जाएं और सांख्यिकीय संसाधन के लिए भेजा जाए

सूचक द्वारा भरे जाने के लिए

14. दत्तक ग्राही पिता का धर्म : (नीचे उपयुक्त प्रविष्टि पर निशान लगाएं) 1. हिंदू 2. मुस्लिम 3. इसाई 4. अन्य धर्म : (धर्म का नाम लिखें)

15. दत्तक ग्राही पिता की शिक्षा का स्तर : (शिक्षा के पूरे किए गए स्तर की प्रविष्टि करें । उदाहरण के लिए – यदि कक्षा VII तक पढाई की है, लेकिन केवल कक्षा VI पास की है, तो कक्षा VI लिखें)

16. दत्तक ग्राही माता की शिक्षा का स्तर : (शिक्षा के पूरे किए गए स्तर की प्रविष्टि करें । उदाहरण के लिए – यदि कक्षा VII तक पढाई की है, लेकिन केवल कक्षा VI पास की है, तो कक्षा VI लिखें)

17. दत्तक ग्राही पिता का व्यवसाय : (यदि कोई व्यवसाय न हो तो 'शून्य' लिखें)

18. दत्तक ग्राही माता का व्यवसाय : (यदि कोई व्यवसाय न हो तो 'शून्य' लिखें)

(भरे जाने वाले कालम समाप्त हो गए हैं । अब बाई और हस्ताक्षर करें)

रजिस्टार द्वारा भरे जाने के लिए

पंजीकरण संख्या.: पंजीकरण तिथि:

पंजीकरण यूनिट:

शहर/गांव: जिला:

टिप्पणी: (यदि कोई हो)

रजिस्टार का नाम और हस्ताक्षर

रजिस्टार द्वारा भरे जाने के लिए

भाग कोड सं.

जिला:

तहसील:

शहर/गांव

पंजीकरण यूनिट

पंजीकरण संख्या.: पंजीकरण तिथि:

जन्म तिथि:

लिंग : 1. पुरूष 2. स्त्री

जन्म स्थान:

रजिस्टार का नाम और हस्ताक्षर"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
दी. मो. स्योलिया, प्रधान सचिव (योजना)

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS
AND
OFFICE OF THE CHIEF REGISTRAR (BIRTHS & DEATHS)
NOTIFICATION

Delhi, the 8th October, 2012

F. No. 13(1)/VS/DES/2006/5986.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with clasue (f) of sub-section (1) of Section 2 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Registration of Births and Deaths Rules, 1999, namely :—

India Code

1. **Short titles, extent and commencement .** – (1) These rules may be called the Delhi Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) They shall come into force with immediate effect.

(2) Amendment of Rule 5. - In the Delhi Registration of Births and Deaths Rules, 1999 (hereinafter referred to as the "Principal Rules") for sub-rule (1) of rule 5, the following shall be substituted, namely : -

5. Form, etc. for giving information of births and deaths. –

"(1) The information required to be given to the Registrar under section 8 or section 9, as the case may be, shall be in form Nos. 1, 1-A, 2 and 3 for the registration of a birth, birth of an adopted child, death and still birth respectively, hereinafter to be collectively called the reporting forms. Information if given orally shall be entered by the Registrar in the appropriate reporting forms and the signature / thumb impression of the informant obtained."

3. Insertion of New Birth Reporting Form (1-A). - In the principal Rules, the following Form, Form No. 1-A – Birth Report for Adopted Child shall be inserted, namely :-

"GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

FORM NO. 1-A BIRTH REPORT FOR ADOPTED CHILD

Legal Information

This part to be added to the Birth Register

To be filled by the informant

1* **Date of Birth** (If known, write exact date of birth). (Otherwise record the date of birth as ascertained by the Magistrate)

2* **Sex** : (Enter "male" or "female"; do not use abbreviation)

3. **Name of the Child:** (if name is changed on adoption, write new name)

4* **Name of mother:** (if known)

5* **Name of father:** (if known)

6. **Date and number of adoption deed/order**

7. **Name of the adoptive mother:**

8. **Name of the adoptive father:**

9. **Address of adoptive parents as recorded in Adoption deed.**

10. **Permanent address of adoptive parents:**

11* **Place of birth**

12. **If adoption through agency** write the place & address of the Adoption Agency.

13. **Informant's name and address:** (After completing all columns 1 to 18 informant will put date and signature here :)

* As contained in the original birth certificate.

Date: **Signature or left thumb mark of the informant**

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

BIRTH REPORT FOR ADOPTED CHILD **Form No 1-A**

Statistical information **See Rule 5**

This part to be detached and sent for statistical processing

To be detached and sent for statistical processing (Not to be filled for birth already registered)

To be filled by the informant

14. **Religion of the adoptive Father : (Tick the appropriate entry below)**
1. Hindu 2. Muslim 3. Christian
4. Any other religioin : (write name of the religion)

15. **Adoptive father's level of education:** (Enter the completed level of Education e.g. if studied upto Class VII but passed only class VI, write class VI)

16. **Adoptive mother's level of education:** (Enter the completed level of Education e.g. if studied upto Class VII but passed only class VI, write class VI)

17. **Adoptive father's occupation:** (if no occupation write 'Nil')

18. **Adoptive mother's occupation:** (if no occupation write 'Nil')

(Columns to be filled are over. Now put signature at left)

To be filled by the Registrar

Registration No.:
Registration Unit:
Town/Village:
Remarks: (if any)

Registration Date:

District:

Name and Signature of the Registrar

To be filled by the Registrar

Name. Code no.
District:
Tahsil:
Town/village:
Registration Unit:

Registration no.: Registration Date:
Date of Birth :
Sex : 1. Male 2. Female
Place of Birth:

Name and Signature of the Registrar"

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

D. M. SPOLIA, Pr. Secy. (Plg.)